

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल- 462023

क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2025-26/277

भोपाल, दिनांक 01/09/25

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल।

विषय:- नवीन अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का अद्यतन एवं संकुल प्राचार्य से आवेदन का सत्यापन कराने के संबंध में।

- संदर्भ:-
1. संचालनालय का पत्र क्र/127 दिनांक 01.05.2025।
 2. संचालनालय का पत्र क्र/153 दिनांक 16.05.2025।
 3. संचालनालय का पत्र क्र/173 दिनांक 26.05.2025।
 4. संचालनालय का पत्र क्र/181 दिनांक 03.06.2025।
 5. संचालनालय का पत्र क्र/203 दिनांक 03.07.2025।
 6. संचालनालय का पत्र क्र/211 दिनांक 07.07.2025।
 7. संचालनालय का पत्र क्र/235 दिनांक 28.07.2025।

उपरोक्त विषयांतर्गत नवीन अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर जानकारी अद्यतन एवं संकुल प्राचार्य से आवेदन के मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराने के निर्देश दिये गये थे। कतिपय आवेदकों द्वारा नवीन पोर्टल 3.0 पर पंजीयन में दर्ज जानकारी का अद्यतन तथा संकुल प्राचार्य से सत्यापन कार्य नहीं करा सकें। अतः ऐसे आवेदकों जो वर्तमान में किसी भी शाला में उपस्थित नहीं हैं तथा वे अपनी जानकारी में कोई संशोधन चाहते हैं, तो ऐसे आवेदकों द्वारा पोर्टल पर 1 दिवस के लिए दिनांक 02.09.2025 को उक्त कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे आवेदक निम्नानुसार कार्यवाही पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें-

1. नवीन अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर पंजीकृत आवेदकों द्वारा पंजीयन में दर्ज जानकारी में आवश्यक संशोधन कर प्रोफाइल लॉक करना।
2. संकुल प्राचार्य से नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आवेदन का मूल दस्तावेजों से सत्यापन कार्य कराना।

उपरोक्त कार्यवाही आवेदक दिनांक 02.09.2025 को सायं 5 बजे तक एवं संकुल प्राचार्य सायं 6 बजे तक पोर्टल पर कर सकेंगे।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठा.क्र./अतिथि शिक्षक/2025-26/278

भोपाल, दिनांक 01/09/25

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
3. संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. कलेक्टर समस्त जिले म.प्र.।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले म.प्र.।
6. निक्सी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।

अपर संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.